न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र. क्र. /2016 विविध पुनर्स्थापन

श्रीमती चंदा शर्मा पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा आयु लगभग–53 वर्ष, व्यवसाय–धंधा सर्विस मंडी कमेटी, निवासी–लेबर कॉलोनी, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.)

——— आवेदिका

विरूद्ध

1. राजेन्द्र शर्मा आ. स्व. श्री सीताराम जी शर्मा, आयु–58 वर्ष,
2. कमलेश शर्मा आ. स्व. श्री सीताराम जी शर्मा, आयु–54 वर्ष,
3. राधेश्याम शर्मा आ. स्व. श्री सीताराम जी शर्मा, आयु–52 वर्ष,
4. गोपाल शर्मा आ. स्व. श्री सीताराम जी शर्मा, आयु–42 वर्ष,

सभी जाति ब्राह्मण धंधा सभी फोटोग्राफी निवासीगण–बग्घीखाना, सीहोर, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) ——— अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) भू–राजस्व संहिता वास्ते पुनर्स्थापन

माननीय न्यायालय,

श्रीमती चंदा शर्मा पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी श्रीमती चंदा शर्मा पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा नगर सीहोर की नागरिक है। इसे आगे के पदों में आवेदिका शब्द से सम्बोधित किया जावेगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक रेस्टो. 9034–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2016	आवेदक अभिभाषक श्री डी0एस0 तौमर द्वारा प्रसतुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह रेस्टो0 आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1783–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 03–03–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27–7–2016 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क में बताया कि जानकारी के दिनांक से यह रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण को पुर्नस्थापित कर मूल प्रकरण नम्बर पर लिया जाये। 3/ रेस्टोरेशन आवेदन एवं इस न्यायालय के मूल निगरानी का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 03–3–2016 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा जानकारी होने पर रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने का प्रश्न है, आवेदक अभिभाषक द्वारा विलंब के संबंध में जो कारण बताये हैं वह समाधानकारक नहीं है। रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 30 दिवस की समय–सीमा निर्धारित की गई है। अतः प्रस्तुत रेस्टोरेशन समयबाधित होने से निरस्त किया जाता है। (एस0एस0 अली) सदस्य	